न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 52/2024 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. गंगाधर पुत्र गेन्दा
2. चौथी पत्नि गेन्दा
3. रामभजन पुत्र गेन्दा
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र गेन्दा
5. हीरालाल पुत्र गेन्दा

समस्त जाति माली निवासी ग्राम रजवास तहसील लवाण जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बद्रीनारायण मीना, उप जिला कलक्टर लवाण जिला दौसा
2. अनिकेत पुत्र कालू
3. रामअवतार पुत्र किशना
4. भौंरी पत्नि किशना
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम बासडा तहसील वस्सी जिला जयपुर
   हालवासी ग्राम रजवास तहसील लवाण जिला दौसा
5. प्रेम पुत्री किशना पत्नि जगदीश जाति मीना निवासी ग्राम दूधली तहसील बस्सी जिला जयपुर
6. गोरधन पुत्र हरिनारायण
7. नाथी पत्नि कालू
8. मनोज पुत्र कालू
9. रामचन्द्र पुत्र जगदीश
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम बासडा तहसील बस्सी जिला जयपुर
   हालवासी ग्राम रजवास तहसील लवाण जिला दौसा
10. बैक आफ इण्डिया शाखा तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर जरिये मैनेजर
11. तहसीलदार लवाण जिला दौसा

.....अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर लवाण बाबत मुकदमा अनुवानी अनिकेत बनाम गंगाधर मुकदमा नंबर 1/2022 जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.05.2024 नियत है ।

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुंमार विजय, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3.श्री उमेश गौड, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02से 05 व 08

—:: निर्णय ::— दिनांकः 16.07.2024

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर में विचाराधीन वाद उनवानी अनिकेत बनाम गंगाधर वगै0 मुकदमा नं0 01/2022 को किसी भी अन्य उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर लवाण से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।

Devendra
जिला कलक्टर,दौसा

3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि अप्रार्थी नंबर 1 लगा0 7 ने निहायती झूठे तथ्यो के आधार पर एक प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधि विरुद्ध तरीके से लिखकर और उप जिला कलेक्टर लवाण के समक्ष पेश किया जिसमें प्रार्थीगण को अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण मीना अप्रार्थी गोरधन के पोते के ससुराल पक्ष की तरफ से नजदीक रिश्तेदार है जिसके कारण उक्त प्रकरण में विशेष रूचि रखकर और उक्त प्रकरण का विधि विरूद्ध तरीके से बिना प्रार्थीगण को विधिवत सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना अप्रार्थीगण के पक्ष मे निर्णय करने के लिये आमदा है। उप जिला कलेक्टर लवाण उक्त मुकदमे में विशेष रूचि दिखाकर सात सात दिवस की पेशी दे रहे है जबकि अन्य सभी मुकदमो मे किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की जाती है तथा मात्र तारीख बदलती जाती है जो भी लंबी लंबी दी जाती है। तथा इस प्रकरण मे विशेष रूचि लेकर मात्र 7–7 दिन की तारीख पेशी दी जा रही है। उप जिला कलेक्टर उक्त प्रकरण में विशेष रूचि ले रहे है जो इस बात से भी सिद्ध है कि उप जिला कलेक्टर लवाण ने पूर्व मे सुविधाजनक व नजदीकी रास्ते की रिपोर्ट मांगी थी जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 24.04.2023 को रिपोर्ट बनाकर पेश की थी। उक्त आयी हुई मौका रिपोर्ट को निरस्त किये बिना व मनमर्जी से कानून के विपरीत तरीके से कार्यवाहक तहसीलदार से मिलीभगत की रिपोर्ट मंगवा ली जिस पर कार्यवाहक तहसीलदार लवाण ने दिनांक 19.03.2024 को रिपोर्ट बनाकर पेश की तथा उक्त रिपोर्ट बिल्कुल कानून के विपरीत होने के बावजूद भी तथा कार्यवाहक तहसीलदार जी ने भ्रष्ट आचरण से बनाकर पेश की गयी होने के बावजूद भी प्रार्थी की आपत्ति पर पुनः उसी तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवा ली। दिनांक 20.05.2024 को पत्रावली इंतजार रिपोर्ट मे थी तथा प्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी 27.05.2024 दी गयी जो इंतजार रिपोर्ट में दी गयी जिसकी आर्डरसीट पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता के हस्ताक्षर तथा इंतजार रिपोर्ट का अंकन है। किन्तु पीठासीन अधिकारी जी ने कार्यवाहक तहसीलदार श्री सोहनलाल मीना से बिना प्रार्थीगण द्वारा बताये गये अल्टरनेटिव वे व नजदीक व सुगम रास्ते के प्रस्ताव को देखे बिना व प्रार्थीगण के जवाब व पूर्व की रिपोर्ट दिनांक 24.04.2023 को देखे बिना उस पर कोई जॉच किये बिना मिलीभगत से तथा मौके पर कोई रिपोर्ट बनाये बिना व बिना प्रार्थीगण को रिपोर्ट की कोई जानकारी दिये बिना गलत तथ्यो के आधार पर रिपोर्ट दिनांक 20.05.2024 को तैयार कर दी व राजस्व टीम द्वारा बनायी गयी रिपोर्ट मे बाद मे छेड़खानी करके और परिवर्तित करके अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने पीठ पीछे से पत्रावली मे शामिल करके और प्रकरण मे दिनांक 23.05.2024 के लिये शीघ्र सुनवायी का नोटिस जारी कर दिया जिस पर प्रार्थी हीरालाल अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया तथा निवेदन किया कि उक्त प्रकरण रिपोर्ट आने के लिये दिनांक 27.05.2024 मे नियत था आपने आज नोटिस क्यो दिया है पीठासीन अधिकारी जी ने यह स्पष्ट कहा कि रिपोर्ट आ गयी है और मै तो आज इस केस का निर्णय करूगा तो प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी जी से निवदेन किया कि आज की तारीख पेशी नही थी आज मेरे अधिवक्ता लवाण नही आते है आप केस को 27.05.2024 से आज कैसे सुन रहे हो जी पीठासीन अधिकारी जी ने बहुत दबाव बनाया है और साफ साफ कहा कि आज तेरे वकील को [illegible] था मै तो आज निर्णय करूगा तो प्रार्थी हीरालाल शाम को 4 ब[illegible] अधिकारी अपनी बात पर अडे रहे तथा अप्रार्थी अनिकेत ने प्रार्थी को धमकी दी कि तू कितना भी जोर लगा ले देख ले रिपोर्ट वापिस मेरे पक्ष मे ही बनवा ली है और एस डी ओ साहब तो मेरे रिश्तेदार है उनसे तो आज मेरे पक्ष मे निर्णय करवा लूंगा जो यह स्पष्ट सिद्ध करता है कि अप्रार्थीगण उप जिला कलेक्टर से मिले हुए है और उप जिला कलेक्टर विशेष रूचि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

लेकर इस प्रकरण का अप्रार्थीगण के पक्ष में फैसला करने पर आमदा है। अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे तो रास्ता खसरा नंबर 30 व 32 जिसका नक्शा भी संलग्न किया है तथा तहसीलदार ने रिपोर्ट में दीगर नंबर 33, 37, 28, 29 में होकर रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी जो मिली भगत होने का स्पष्ट प्रमाण है तथा उक्त नंबरों में होकर रास्ता चाहा जाना रिपोर्ट मे लिख दिया जबकि खसरा नंबर 30 व 32 मे से रास्ता चाहा था। उप जिला कलेक्टर ने यह आदेश नहीं दिया था किस नंबर मे से कितना रकबा दिया जाये बल्कि मौका रिपोर्ट व सुविधाजनक व सुगम व नजदीक रास्ता की रिपोर्ट का आदेश दिया था। तहसीलदार ने भ्रष्ट आचरण कर गलत रिपोर्ट मिलीभगत से बनाकर पेश कर दी जो भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से कानून के विपरीत दी गयी रिपोर्ट है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रार्थीगण को सुनवायी किये बिना व सुनवायी का मौका दिये बिना उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय करने पर आमदा हो रहे है। अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 30, 32 ग्राम रजवास मे होकर कभी भी कोई रास्ता नही रहा है और ना ही कोई आज दिन रास्ता है । उक्त दोनो खसरा नंबरान के मध्य खसरा नंबर 31 और है जिसके बारे में प्रार्थना पत्र में कोई हवाला नही दिया गया है क्यो कि खसरा नंबर 31 का 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है जो अप्रार्थीगण के खसरा नंबरान से लगता हुआ है. किन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्य को छिपाकर गलत आधारो पर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 30 मे भी रास्ते की मांग की है जो कतई गलत है। उक्त भूमि खसरा नंबर 30, 32 बाबत एक वाद और चल रहा है जिसमे स्थगन हो रहा है और कानूनन उक्त भूमि बाबत जब वाद चल रहा है और स्थगन हो रहा है तो उक्त भूमि मे होकर रास्ता लेने के संबध में समरी प्रोसेडिंग का धारा 251 ए का मुकदमा नही चल सकता है जिसके बारे मे प्रार्थीगण ने उप जिला कलेक्टर के यहॉ अनेको बार मौखिक निवेदन कर दिया किन्तु फिर भी उप जिला कलेक्टर ने उक्त केस को चला रखा है जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि अप्रार्थीगण उप जिला कलेक्टर से मिले हुए है एवं दबाव बनाकर प्रार्थीगण की भूमि मे होकर कानून के विपरीत तरीके से रास्ता लेना चाहते है। अप्रार्थीगण अपनी भूमि मे रास्ता से खसरा नंबर 107 रास्ते से होते हुए खसरा नंबर 84, 85 मे होकर आते जाते है जो मौके पर रास्ता बना हुआ है जिसमे खसरा नंबर 107 मे खसरा नंबर 82 तक टाईल की सडक बनी हुई है अप्रार्थीगण का उक्त रास्ता चालू है जो सुविधाजनक व नजदीक रास्ता है उक्त रास्ता मौके पर चालू है इसके अलावा अप्रार्थीगण अपनी भूमि पर खसरा नंबर 26 व उक्त खसरा नंबरान के लगते हुए ही दूसरे गाँव देवरी की सीमा के खसरा नंबर 285 जो अप्रार्थी गोरधन छोटया, बनवारी, बंशी बाबूलाल, ममता, भागोती आदि का शामलाती का खसरा नंबर है, मे होकर अप्रांर्थी गोरधन के सहखातेदारो के नाम खसरा नंबर 284, 283, 294 मे होते हुए आम रास्ते तक जाते है जो रास्ता भी मौके पर चालू है। अप्रार्थीगण के पास मौके पर उक्त दोनो रास्ते चालू है सुगम व नजदीक व सुविधाजनक है जिसको देखने के लिये प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार जी को अनेको बार निवेदन किया जिसकी वीडियो रिकार्डिंग भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है. किन्तु उसके बाजवूद भी तहसीलदार जी के द्वारा रास्ते के प्रकरण मे सभी वैकल्पिक रास्तो व अन्य सुविधाजनक रास्ते को देखकर सभी बिन्दुओ को जॉच कर रिपोर्ट बनाने का नियम [illegible] बावजूद भी बिना प्रार्थीगण की सुने बिना मनमर्जी से रिपोर्ट दी है [illegible] द्वारा दी गयी रिपोर्ट मे काटाफांसी करके और रिपोर्ट [illegible] भी राजस्व टीम द्वारा उप जिला कलेक्टर लवाण के समक्ष पेश किया गया है, किन्तु फिर भी गलत तरीके से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को सुनवायी का अवसर दिलवाये बिना मिलीभगत से निर्णय करवाने को आमदा हो रहे है। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे यह प्रावधान है कि रास्ता सबसे निकटतम मार्ग होगा वही मार्ग दिया जा सकेगा, किन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

जानबूझकर जिस रास्ते का वे उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा वैकल्पिक सबसे निकटतम रास्ता खसरा नंबर 107, 80, 84 मे होकर के है तो अप्रार्थीगण उक्त रास्ते की मांग नही करके और जानबूझकर प्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के उदेश्य से प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मे होकर कोई रास्ता नही होने के बावजूद भी झूठे तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे अधिनस्थ न्यायालय विधि अनुसार सुनवायी नही करके और अप्रार्थीगण से मिलीभगत करके और अप्रार्थीगण के पक्ष मे निर्णय करने को आमदा हो रहे है। दिनांक 23.05.2024 को अप्रार्थी अनिकेत ने प्रार्थीगण को न्यायालय मे ही धमकी दी कि इस प्रकरण का आज ही फैसला हो जाता तुमने जैसे तैसे आज तो बचा लिया लेकिन 27 तारीख को फैसला मेरे पक्ष मे ही होगा और तेरे खेत मे होकर रास्ता बनवाउगा तथा पीठासीन अधिकारी के इस प्रकरण मे विशेष रूचि लेकर नजदीक नजदीक की तारीख पेशी देने से अप्रार्थी अनिकेत द्वारा प्रार्थी को धमकी देने के कारण प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नही रही है और जहाँ न्याय की उम्मीद नही हो वहाॅ प्रकरण की सुनवायी किया जाना कतई न्यायोचित नही है। अप्रार्थी अनिकेत का भाई अमित कुमार राजस्व मंडल अजमेर मे कार्यरत है तथा अपने आप को राजस्व मंडल चेयरमेन का पी. ए. बताता है जिसकी धोस मे उक्त अनिकेत मनमर्जी से किसी भी कर्मचारी को उसके मन मुताबिक काम नही करने पर धमकी देता रहता है उक्त अनिकेत ने पटवारीयो द्वारा रिपोर्ट मे काटा फांसी करने के कारण ज्ञापन देकर शिकायत देने पर उनको भी फोन करके धमकी दी है। न्याय का यह सार्वभौम सिदान्त है कि न्याय हो रहा है ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए और जहाँ न्याय होता प्रतीत नही होता हो वहाँ प्रकरण की सुनवायी किया जाना कतई न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय होता प्रतीत नही हो रहा है। इसलिये इस प्रकरण की विधिवत सुनवायी हेतु इस प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर लवाण के समक्ष विचाराधीन मुकदमा अनुवानी अनिकेत बनाम गंगाधर मुकदमा नंबर 1/2022 को किसी सक्षम न्यायालय मे विधिवत सुनवाई करने हेतु स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि प्रार्थीगण उक्त मुकदमें का निस्तारण नहीं होने देना चाहते है। मुकदमें को देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थीगण येन केन प्रकारेण मुकदमें की कार्यवाही बाधित करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में भी तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध भी प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रा0पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में असत्य तथ्य अंकित किये गये है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 से 5 व 8 की दलील है कि न्यायालय उपखंड अधिकारी लवाण के यहाॅ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जो काफी लंबे समय से विचाराधीन है जिसको विलंब करने की गंरज से प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण उनवानी प्रा[illegible] दूसरी बार न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इ[illegible] प्रार्थीगण उनवानी प्रकरण की सुनवाई नहीं होने देना चाहते [illegible] अप्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भी भूमि जि[illegible] रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में होकर है जिसमें होकर आवागमन नहीं करने दे रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। फसल खरीफ के समय को देखते हुए आने वाले समय में अप्रार्थीगण अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

आराजी की बुवाई जुताई करेंगे। प्रार्थीगण द्वारा आवागमन बंद करने के कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि को काश्त नहीं कर पायेंगे जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पडेगा एवं बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुंत स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

6. हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस व प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में कई कमियों के बारे में उल्लेख किया है। किन्तु उक्त कमियों का निर्णय पीठासीन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी लवाण अथवा उनके द्वारा भी आदेश से संतुष्ट न होने पर अपील में किये जाने के प्रावधान है। उक्त कमियों का अवलोकन स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में किया जाना न्यायोचित नहीं समझता हूँ। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि धारा 251 ए के तहत कार्यवाही एक समरी इन्क्वायरी के तहत की जाती है। किन्तु वर्तमान प्रकरण वर्ष 2022 से लंबित है, एवं यह आवश्यक है कि 251 ए के तहत किसी भी प्रकरण का समरी इन्क्वायरी के रूप मे निस्तारण हो ताकि काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप काश्तकारों को समयबद्ध तरीके से अपनी काश्त की भूमि पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध हो। इस प्रकरण में पूर्व में भी एक भिन्न तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र लाया जा चुका है जिसे पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज कर दिया गया था तथा वर्तमान पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र लंबित है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान पीठासीन अधिकारी को अप्रार्थी के नजदीकी रिश्तेदार होने के बारे में कथन किया है किन्तु इस बारे में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जहाँ तक प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में सात–सात दिन की पेशी के संबंध में अपना कथन किया है तो इस संबंध में चूंकि इस प्रकरण को समरी ट्रायल के रूप में चलाया जाना था एवं प्रकरण को तकरीबन दो वर्ष हो गया है तो ऐसे में यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में शॉर्ट डेट दी जाती है तो इसमें हम कुछ अनुचित नहीं समझते है। बशर्ते इस संबंध में संबंधित अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी रहे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण में विचाराधीन प्रकरण उनवानी अनिकेत बनाम गंगाधर वगै0 प्रकरण संख्या 01/2022 को दीगर उप जिला कलक्टर को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 16 जुलाई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.01.08 17:43:06 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा